

पन्नावली आज वास्तु निर्णय / आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पन्नावली में वहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताविक सीमाज्ञान पत्थरगढी पर एवं पन्नावली पर जावे। वहस पर मनन किया गया एवं पन्नावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताविक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज है। अतः अन्य सहखातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर वाद सम्यक संतुष्टि मुताविक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी वावत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।



(बुजेश कुमार)

उपस्थित अधिकारी

उपस्थित अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गणेश्वर तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 1806 रकबा 0.23 हैक्टो व 1807 रकबा 0.08 हैक्टो की प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान एवं पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर वाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताविक सीमाज्ञान 18.04. 2022 उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढी की जावे। दौरान पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा वेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहसीर जारी हो। पन्नावली वाद फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरें इजलास सुनाया गया।



(बुजेश कुमार)

उपस्थित अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)